राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प 10(221)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक :— 31 AUG 2010

आयुक्त,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

आयुक्त,
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

विषय :— भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति/छूट/नियमन के संबंध में।

महोदय,

विभागीय परिपत्र क्रमांक प 3(83)नविवि/3/2009 दिनांक 25.02.2009 के बिन्दु सं. 18 से 21 व परिपत्र क्र प 10(25)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के बिन्दु सं. 4 के अन्तर्गत कुछ प्रकार के प्रकरणों पर राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना विभागीय परिपत्र दिनांक 07.05.2010 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि भविष्य में ऐसे प्रकरणों पर परिपत्र दिनांक 16.04.2010 के अनुसार कार्यवाही निर्धारित सक्षम समिति द्वारा की जायेगी तथा प्रकरण को सक्षम समिति में रखे जाने के लिए अलग से राज्य सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसा देखने में आ रहा है कि जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यासों से ऐसे प्रकरण बिना सक्षम समिति के अनुशंषा के सीधे ही सैद्धान्तिक स्वीकृति/छूट/शिथिलता के लिए राज्य सरकार को भिजवाये जा रहे है।

नियमानुसार ऐसे प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण को संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। समिति विचार–विमर्श कर गुणावगुण के अनुसार प्रकरण पर सशर्त निर्णय अथवा अनुशंषा करेगी व भू–उपयोग रूपान्तरण के औचित्य के साथ राज्य सरकार को आवश्यक स्वीकृति/छूट/शिथिलता के लिए

प्रकरण प्रेषित किये जायें। कृपया आपके स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि ऐसे प्रकरण बिना सक्षम समिति के निर्णय व अनुशंषा के सीधे इस विभाग को ना भिजवाये जावें।

(गुरदयाल सिंह संधू)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर / अजमेर / भरतपुर / भिवाडी / भीलवाडा / बीकानेर / आबू जिला सिरोही / कोटा / उदयपुर / श्रीगंगानगर / जैसलमेर।

(निष्काम दिवाकर)
उप शासन सचिव–द्वितीय